न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी — **श्री जगदीश प्रसाद गौड़**

मुकदमा नम्बर : 10/2023 — **आर.ए.एस**

श्री जयसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला झुन्झुनू।

बनाम

श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री निरंजन लाल, मै0 समीन्द्र कम्युनिकेशन एण्ड जनरल स्टोर, नरहड रोड़ देवरोड़, सूरजगढ, झुन्झुनू।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित धारा नियम 2011

–निर्णय– — **दिनांक : 31.01.2023**

पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसकी नरहड रोड़ देवरोड़, सुरजगढ, झुन्झुनू में मै0 समीन्द्र कम्युनिकेशन एण्ड जनरल स्टोर के नाम से जनरल स्टोर है जहां वह किराणा सामान का बेचान करता है। उसकी दुकान से खाद्य पदार्थ सरसों तेल (लूज) का सैम्पल लिया गया था जो कि अनसेफ (Unsafe) एवं सब–स्टैण्डर्ड (Sub-standard) पाया गया है। अनावेदक ने निवेदन किया कि उसने सैम्पल लेने के बाद से लूज तेल का बेचान बन्द कर ब्रान्डेड पैक्ड तेल का बेचान शुरू कर दिया है। अतः उसके कम से कम जुर्माना लगाया जाये।

हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./2643/एक्ट/2022/2673 दिनांक 29.08.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ सरसों तेल (लूज) अनसेफ (Unsafe) एवं सब–स्टैण्डर्ड (Sub-standard) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी दुकान मै0 समीन्द्र कम्युनिकेशन एण्ड जनरल स्टोर पर खाद्य पदार्थ सरसों तेल (लूज) से तैयार कर बेचान करता है तथा स्वयं दुकान मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ सरसों तेल (लूज) अनसेफ (Unsafe) एवं सब–स्टैण्डर्ड (Sub-standard) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री निरंजन लाल, मै0 समीन्द्र कम्युनिकेशन एण्ड जनरल स्टोर, नरहड रोड़ देवरोड़, सुरजगढ, झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 10,000/– दस हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 31.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 11:00:46 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू